अनुदान संख्या 2 – कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
GRANT No. 2–DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत-	Voted–	1510,92,00	1486,52,85	–24,39,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां **Notes and comments**

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2415" कृषि अनुसंधान और शिक्षा	Major Head "2415" Agricultural Research and Education				
मू.	O.	143222.00	150187.00	148548.87	–1638.13
पु.	R.	6965.00			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	7750.00	785.00	. .	–785.00
पु.	R.	–6965.00			

(I) 7760.50 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से 7750.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ उपयोग के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों से निधियों का आंशिक पुनर्विनियोग किए जाने तथा 10वीं योजना में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए थे।

(I) Provision of Rs.7760.50 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.7750.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2552"- "Other Expenditure- Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" - due to re-appropriation of part funds to concerned functional heads for utilisation for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and also on account of non-approval of proposal of Central Agricultural University, Imphal in 10th Plan.

(II) मुख्य शीर्ष ''2415'' - ''फसल कृषिकर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता- कृषि उत्पाद उपकर अधिनियम, 1940 के अधीन उपकर की निवल प्राप्तियों की अदायगी'' के अंतर्गत 1612.69 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''2415'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''फसल कृषिकर्म - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता''-

(क) ''फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें''- 400.00 लाख रु. का अधिक व्यय (29300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''बागवानी संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें''- 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (12150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ग) ''कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें''- 510.00 लाख रु. का अधिक व्यय (9140.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घ) ''कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें''- 300.00 लाख रु. का अधिक व्यय (7510.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ङ) ''बाह्य रूप से सहायता प्राप्त परियोजनाएं/स्कीमें''- 1840.00 लाख रु. का अधिक व्यय (16660.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(खा) ''मृदा तथा जल संरक्षण - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, कृषि वानिकी अनुसंधान और शिक्षा स्कीमों सहित अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें''- 600.00 लाख रु. का अधिक व्यय (13170.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(गा) ''पशु पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - पशु विज्ञान संस्थान, डेरी अनुसंधान संस्थानों तथा स्कीमों सहित अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें''- 1000.00 लाख रु. का अधिक व्यय (17650.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(II) Under Major Head "2415" - "Crop Husbandry- Assistance to I.C.A.R. - Payment of Net Proceeds of Cess under Agricultural Produce Cess Act, 1940" - saving of Rs.1612.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 4000.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2415"- under the following heads:-

(A) "Crop Husbandry- Assistance to I.C.A.R."-

(a) "Crop Science Institutes, Research and Education Schemes"- excess of Rs.400.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 29300.00 lakhs);

(b) "Horticulture Institutes, Research and Education Schemes" - excess of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.12150.00 lakhs);

(c) "Agricultural Extension Institutes, Research and Education Schemes" – excess of Rs.510.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.9140.00 lakhs);

(d) "Agricultural Education Institutes, Research and Education Schemes" -excess of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7510.00 lakhs);

(e) "Externally Aided Projects/Schemes" - excess of Rs.1840.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16660.00 lakhs);

(B) "Soil and Water Conservation - Assistance to I.C.A.R.- Other Natural Resource Management Institute, Research and Education Schemes including Agro Forestry Research and Education Schemes"- excess of Rs.600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs. 13170.00 lakhs);

(C) "Animal Husbandry - Assistance to I.C.A.R. - Animal Science Institutes, Research and Education Schemes including Dairy Research Institutes and Schemes"- excess of Rs.1000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17650.00 lakhs);

(घा) ''मछली पालन - भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को सहायता - मछली पालन संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा स्कीमें''- 200.00 लाख रु. का अधिक व्यय (8100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ङ) ''सामान्य - अन्य संस्थाओं को सहायता - केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल को सहायता अनुदान''- 1715.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को पूरा करने के लिए मुख्य शीर्ष "2552'' से संबंधित कार्यात्मक शीर्षों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुआ।

(D) "Fisheries- Assistance to I.C.A.R. - Fisheries Institutes, Research and Education Scheme" - excess of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8100.00 lakhs); and

(E) "General- Assistance to Other Institutions - Grants-in-aid to Central Agricultural University, Imphal" – excess of Rs.1715.00 lakhs (against nil provision).

Excess under the above nine heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to concerned functional heads for meeting expenditure on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.